राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र / 2022 / 804 दिनांक : 27/12/22

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा "मुख्यमंत्री जन आवास योजना" के अन्तर्गत बहुमंजिले फ्लैट्स के आवंटन हेतु दिनांक 01–09–2021 से प्रारम्भ की गई पंजीकरण योजनाओं की पंजीकरण पुस्तिका में अंकित पंजीकरण राशि के पुनर्भुगतान / समायोजन नहीं किये जाने सम्बन्धी प्रावधान में आंशिक संशोधन करते हुए, मण्डल की अन्य पंजीकरण योजनाओं के अनुरूप ही वरीयता लॉटरी में असफल रहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदकों को उनकी मूल पंजीकरण राशि रू. 2000 / – तथा अल्प आय वर्ग के आवेदकों को राशि रू. 3500 / – रिफण्ड करने एवं योजना के लाभार्थियों की मूल पंजीकरण राशि मण्डल नियमानुसार आवंटित फ्लैट्स की लागत में समायोजित करने की स्वीकृति कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2021 / 618 दिनांक 28–09–2021 के द्वारा प्रदान की गयी थी।

मण्डल के संचालक मण्डल की 248 वीं बैठक दिनांक 22–11–2022 में निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 248.32 रखा गया। बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2021 / 618 दिनांक 28–09–2021 की कार्योत्तर स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव / वित्तीय सलाहकार / निदेशक(विधि) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–मुख्यालय / प्रथम / द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
32. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर / जोधपुर।
33. उप आवासन आयुक्त, मुख्यालय, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत–................, रा0आ0म0, ... (समस्त)
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–..................., रा0आ0म0, ...
7. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
8. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

D/DRB/OFFICE ORDER